## Order Sheet [Contd]

	Case No 235/	⁄ 2017  बी.ए
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
27.06.2017	आवेदक / अभियुक्त राजू उर्फ राजेश की ओर से श्री एस0एस0 तोमर अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। पुलिस थाना गोहद की ओर से अप०क० 138/17 धारा 354, 506 भाठवंठिव एवं लेंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7. 8 की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत। अवेदक / अभियुक्त की ओर से श्री एस.एस. तोमर अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि प्रकरण में फरियादिया की झूठी रिपोर्ट के आधार पर घटना के पांच दिन पश्चात् आवेदक को विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक के बड़े भाई का विवाह दिनांक 02.07.2017 को है, आवेदक जमानत की समस्त शर्तो का पालन करेगा एवं साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा। अतः आवेदक को उचित जमानत मुचलके पर छोडे जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।  आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्को पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्को पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्को पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्को पर अत्यधिक वल दिया है कि अवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्को पर अत्यधिक वल दिया है कि अवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्को पर अत्यधिक वल देया है कि अवेदक / अभियुक्त के विराह इसी घटना के संबंध में फरियादी पक्ष के द्वारा 151 की कार्यवाही की गई थी, जिसमें कि आवेदक को 16 तारीख को ही जेल भेज दिया गया था और पुलिस से मिलकर पांच दिन पश्चात् यह मिथ्या प्रकरण दर्ज किया है, जबिक घटना के संबंध में एक अन्य प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक को मिथ्या फसाये जाने का आधार लेते हुए जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि फरियादिया को लेट्रिन जाते समय बुरी नियत से हाथ पकडकर खींचने का आरोप है। घटना दिनांक 16.06.17 में होनी दर्शाई है, जबिक थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	AT TO SERVICE STATE OF THE SER
	प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा	

सकता है। शेष अनुसंधान हेतु <u>आवेदक / अभिय</u>ुक्त की आवश्यकता होनी नहीं दर्शाई गई है। अतः आवेदक / अभियुक्त की ओर से किए गए तर्क एवं प्रकरण की परिस्थतियों को देखते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा ४३९ जा०फौ० स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि यदि उसकी ओर से संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 20,000/- रूपए की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत वंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो जमानत पर छोडा जाए।

## शर्ते-

- आवेदक / अभियुक्त प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित
- इस प्रकार का कोई अन्य अपराध नहीं करेगा।
- साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।

हेतु भेजी जावे।

ALIMAN PRESIDENT ARTERIA STATES OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

WILHER A PARENT BUTTINE BY THE BY THE